

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प
जैतीवास

वादी

बनाम


प्रतिवादी

ऋषभदेव

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-167/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.11.2021	<p>प्रार्थी ऋषभदेव पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प जैतीवास में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 575 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 785 रकबा 0.8495 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 468 रकबा 2.2167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.9546 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 1.1245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 1.9335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.8171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.8980 हैक्टेयर कुल खसरा 18 कुल रकबा 17.4503 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी पूर्व में हीरालाल पुत्र शंकरलाल की थी। उक्त संयुक्त</p>	

खातेदार हीरालाल पुत्र शंकरलाल का देहान्त सन् 1986 में हो गया। वादी के पिता हीरालाल की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 15.06.1986 को स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम ऋषभदेव के बजाय रिखबचन्द लिख दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम ऋषभदेव है तथा सरकारी दस्तावेज भी ऋषभदेव पुत्र हीरालाल के नाम से जारी किये हुए है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में रिखबचन्द पुत्र हीरालाल के स्थान पर ऋषभदेव पुत्र हीरालाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ऋषभदेव ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी ऋषभदेव का आधार कार्ड, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 575, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 785, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 468 से 824 (खाता संख्या 599) आदि को पेश किये हैं। तथा वादी के समर्थन में बयान गवाह अमराराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी जैतीवास के कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में रिखबचन्द गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मैं कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम ऋषभदेव के बजाय रिखबचन्द दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 575 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 785 रकबा 0.8495 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 468 रकबा 2.2167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.9546 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 1.1245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 1.9335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.5825

	<p>हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.8171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.8980 हैक्टेयर कुल खसरा 18 कुल रकबा 17.4503 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में रिखबचन्द पुत्र हीरालाल (रिखबराज पुत्र हीरालाल) के स्थान पर ऋषभदेव पुत्र हीरालाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम जैतीवास में खुले में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा</p>	
--	---	--

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

ऋषभदेव पुत्र हीरालाल
जरिये

राजस्थान सरकार

जाति ब्राह्मण निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा

तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 167/2021

निर्णय

दिनांक :- 24.11.

2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 575 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 785 रकबा 0.8495 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 468 रकबा 2.2167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.9546 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 1.1245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 1.9335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.8171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.8980 हैक्टेयर कुल खसरा 18 कुल रकबा 17.4503 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में रिखबचन्द पुत्र हीरालाल (रिखबराज पुत्र हीरालाल) के स्थान पर ऋषभदेव पुत्र हीरालाल की संयुक्त खातेदारों काश्तकारी की घोषित की जाती है। इसी माफिक राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

